

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... ठिमोली .....

## -: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... ठिमोली ..... व भू.अ.नि. तिहावली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... न्यांगली ..... तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या ..... 83, 33 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	न्यांगली	83, 33	पटवारी के द्वारा मोहन प्रविष्टि जाति राजपूत	मुलान सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति - राजपूत बहन प्रविष्टि मादि रोज दे ली यथावत् ही

1765  
2015/10

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :-

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मुलान सिंह पुत्र मोहन सिंह को सूचितार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

ठिमोली  
न्यांगली

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

*(Handwritten signature)*